"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 93] रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 मार्च 2013—फाल्गुन 27, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 2013 (फाल्गुन 27, 1934)

क्रमांक-4419/वि.स./विधान/2013.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) जो दिनांक 18 मार्च, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 5 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2013

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980) में और संशोधन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(ग) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची."

धारा 3 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 3 में शब्द "सात हजार रुपये प्रतिमास" के स्थान पर शब्द "अनुसूची में विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 4 का संशोधन. 4. (एक) मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) में शब्द "आठ हजार रुपये प्रतिमास" के स्थान पर शब्द "अनुसूची में विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये.

(दो) मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) में शब्द "एक हजार एक सौ रुपये प्रतिदिन" के स्थान पर शब्द "अनुसूची में विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये.

अनुसूची का अंत:स्थापन. 5. मूल अधिनियम की धारा 16 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ा जाये, अर्थात् :—

अनुसूची
[धारा 2 (ग) देखें]

धारा (1)	वेतन/भत्तों का विवरण (2)	राशि (3)
धारा 3	नेता प्रतिपक्ष का वेतन	रुपये 27,000 प्रतिमास
धारा 4 (2)	नेता प्रतिपक्ष को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 27,000 प्रतिमास
धारा 4 (3)	नेता प्रतिपक्ष को दैनिक भत्ता	रुपये 1,200 प्रतिदिन

उद्देश्यों और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष को प्रदत्त सुविधाओं में कुछ सुधार की आवश्यकता है. अत: छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्र. 8 सन् 1980), में संशोधन प्रस्तावित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 11 मार्च, 2013

बृजमोहन अग्रवाल
संसदीय कार्य मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड 3 एवं 4 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानित रुपये 5,10,000.00 (रुपये पांच लाख दस हजार) केवल का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपबंध

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980) की धारा 2 के खण्ड (ख), धारा 3, धारा 4 (2) एवं 4 (3) का सुसंगत उद्धरण —

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 2 (ख) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इस अधिनियम में प्रयोग में लाई गई है किन्तु परिभाषित नहीं की गई है और जो छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) में परिभाषित की गई है, वही अर्थ होगा जो कि उनके लिए उस अधिनियम में क्रमश: दिया गया है.

धारा 3 नेता प्रतिपक्ष को सात हजार रुपये प्रतिमास वेतन दिया जायेगा.

धारा 4 (2) नेता प्रतिपक्ष को आठ हजार रुपये प्रतिमास निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जायेगा.

धारा 4 (3) नेता प्रतिपक्ष को एक हजार एक सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जायेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.